भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:5583
04अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता

† 5583. श्री वी. के. श्रीकंदनः
डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित आर्थिक लाभ लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के भीतर होती है।

आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विशिष्ट क्रियाकलापों को पूरा करने के बाद निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं को देश में नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES.pdf

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लचीलापन भी प्रदान किया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, एएनएम के साथ-साथ आशा कार्यकर्ता निगरानी निष्पादन संकेतकों के आधार पर टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) (प्रति माह 1000 तक) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे - आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में ₹20,000/- का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। पैकेज में निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान किया गया है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ; आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का अंशदान)।

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) (प्रीमियम का 50% अंशदान भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा) भी उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

साथ ही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य परिचर्या कवरेज सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए विस्तारित किया गया है।

मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकार्यकर्ता) के लिए प्रोत्साहन संरचना को नियमित रूप से संशोधित किया गया है, ताकि कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के साथ समन्वय करने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन को शामिल किया जा सके। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन को अंतिम बार 7 सितंबर, 2022 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 7वीं बैठक में संशोधित किया गया था।

****